न्यायालय कलेक्टर सागर,जिला सागर

रा.प्र.कमांक– 20 अ/19(3) वर्ष 2017–18
मौजा– महुआखेड़ा प.ह.नं. 141
तहसील व जिला सागर (म.प्र.)

वन मंडल अधिकारी
दक्षिण वन मंडल सागर
जिला सागर (म.प्र.) .... आवेदक

विरूद्ध

म.प्र.शासन .... अनावेदक

!! आदेश !!

(पारित दिनांक 24/04/2018)

वन मंडल अधिकारी दक्षिण वन मंडल सागर जिला सागर (म.प्र.) द्वारा पत्र क्रमांक– मा.चि./06./2018/751 दिनांक 07.03.18 प्रेषित करते हुए मध्यप्रदेश के सागर जिले में सागर जू एवं रेस्क्यू सेन्टर की स्थापना हेतु प्रस्तावित दक्षिण वनमंडल के वन परिक्षेत्र सागर के अंतर्गत आरक्षित वन खण्ड आमेट, बीट आमेट के वन कक्ष क्रमांक– आर.एफ. 731 रकवा 100.00 हे. में से वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत सागर के जू एवं रेस्क्यू सेंटर की स्थापना में भवन/मार्ग निर्माण से प्रभावित वन भूमि रकवा 2.00 हे. के बदले 2.00 हे. गैर वन भूमि उपलब्ध कराये जाने हेतु मांग की गई।

नायब तहसीलदार सुरखी तहसील सागर का प्रकरण क्रमांक 269 बी/121 वर्ष 17–18 ग्राम महुआखेड़ा अनुविभागीय अधिकारी सागर के माध्यम से प्राप्त हुआ।

नायब तहसीलदार सुरखी तहसील सागर द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध कर ग्राम में इश्तहार जारी कर आपत्तियां आमंत्रित की गई। आपत्तियां प्राप्त नहीं हुई। ग्राम पंचायत महुआखेड़ा से ग्राम पंचायत का प्रस्ताव लिया गया। हल्का पटवारी से प्रेतिवेदन लेकर प्रतिवेदित किया कि ग्राम महुआखेड़ा प.ह.नं. 141 रा.नि.मं. सुरखी में भूमि ख.नं. 669 रकवा 40.56 हे. में से 2.00 हे. भूमि जू–रेस्क्यू सेन्टर की स्थापना में भवन/मार्ग निर्माण से प्रभावित वन भूमि रकवा 2.00 हे. के बदले आबंटित किया जाना उचित है! जिसकी अनुशंसा अनुविभागीय अधिकारी सागर द्वारा की गई।

अतः नायब तहसीलदार सुरखी तहसील सागर/अनुविभागीय अधिकारी सागर के प्रस्ताव पर निम्नानुसार भूमि :–

क्र.	ग्राम का नाम	प.ह.नं.	ख.नं.	कुल रकवा (हे.में)	आवंटित रकवा (हे. में)	मद
01	महुआखेड़ा	141	669	40.56	2.00	शासकीय चरनोई

को म.प्र.भू–राजस्व संहिता 1959 (यथा संशोधित अधिनियम 2011) की धारा 237(3) के तहत प्रस्तावित भूमि का मद परिवर्तन करते हुए, जू–रेस्क्यू सेन्टर की स्थापना में भवन/मार्ग निर्माण से प्रभावित वन भूमि रकवा 2.00 हे. के बदले वन मंडल अधिकारी दक्षिण वन मंडल सागर जिला सागर (म.प्र.) के लिये निम्न शर्तो पर आरक्षित की जाती है :–

1– आवंटित की गई शासकीय भूमि का तत्काल कब्जा प्राप्त करें।
2– आवंटित भूमि पर बोर्ड लगाते हुये अतिक्रमण से बचाने हेतु फेंसिंग आदि से सुरक्षित करें।
3– अतिक्रमण होने की दशा में विभाग स्वयं जबावदार रहेगा।
4– आवंटित की गई भूमि का उपयोग आगामी 6 माह में नियत प्रयोजन में आवश्यक रूप से किया जावेगा। विभाग द्वारा भूमि का उपयोग न किये जाने पर सूचना इस न्यायालय को दी जावे।
5– भूमि का नियत प्रयोजन में उपयोग न होने पर पूर्ण अथवा आंशिक भूमि वापिस ली जा सकेगी।

(आलोक कुमार सिंह)
कलेक्टर
जिला–सागर

P.T.O.

पृ0क0/ 4883 /री0कले0/2018 सागर दिनांक 24/04/2018

प्रतिलिपिः–

1. वन मंडल अधिकारी दक्षिण वन मंडल सागर जिला सागर (म.प्र.) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. क्षेत्रीय प्रबंधक, म. प्र. ईको पर्यटन विकास बोर्ड दक्षिण सागर को सूचनार्थ!
3. अनुविभागीय अधिकारी सागर जिला सागर की ओर मूल प्रकरण सहित तहसीलदार सागर से आदेशानुसार अभिलेख दुरूस्त कराये जाने तथा संबंधित विभाग को आवंटित भूमि का अधिपत्य दिलाये जाने हेतु।
4. तहसीलदार सागर जिला सागर को आदेशानुसार कार्यवाही हेतु।

कलेक्टर
जिला–सागर

469
24-4-18